SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

Need to make available organic decomposer to farmers by the National Organic Centre, Ghaziabad, Uttar Pradesh

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, भारत सरकार के द्वारा खेती-किसानी का कार्य करने वाले गरीब, किसान, मजदूर, बटाईदार की आय को दोगुना करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास व कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद, जो जैविक खेती करने वाले किसानों के हित के लिए उत्पाद तैयार करता है, यह अनुसंधान केन्द्र डीकम्पोज़र नाम का एक जैविक अपघटक तैयार करके मात्र 20 रुपए में किसानों को उपलब्ध कराता रहा है। इस अपघटक के उपयोग से जैविक रूप से समस्त जैविक पदार्थ डीकम्पोज़ होकर स्वस्थ जैविक उर्वरक तैयार हो जाता है। साथ ही मैं यह भी बताना उचित समझता हूँ कि एक बार इस जैविक अपघटक के तैयार हो जाने के बाद किसान आजीवन इस अपघटक का उपयोग, सुरक्षित रख कर बगैर किसी मूल्य के अपनी फसलों व खेतों में करता रहा है। यह अपघटक फसलों के अवशेषों के अपघटन करने के साथ फल, फूल, अनाज, दलहन, तिलहन आदि की फसलों पर रासायनिक कीटनाशक के स्थान पर उपयोग किया जाता रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन हाल ही में जब मैंने अपने किसी व्यक्ति को डीकम्पोज़र लाने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद भेजा, तब मेरे संज्ञान में आया कि डीकम्पोज़र का उत्पादन बन्द कर दिया गया है। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी ने इसके उत्पादन का जिम्मा लिया है, जो भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करती है। इस प्रकार के अनुचित फैसले से किसानों को दोहरी हानि उठानी पड़ेगी। साथ ही डीकम्पोज़र की गुणवत्ता के ऊपर भी प्रश्नचिह्न उठना लाजिमी है। इस निर्णय के पीछे एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी का षड्यंत्र है, जिसमें सरकार के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार से भ्रष्टाचार से प्रेरित है।

अत: मैं चाहता हूँ कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद के द्वारा ही

[श्री सकलदीप राजभर]

डीकम्पोज़र का उत्पादन कराया जाए, साथ ही पूरे देश में इसका प्रचार-प्रसार कर किसानों को यह उपलब्ध कराया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, सकलदीप जी। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी।

Arbitrary increase in fee by private schools

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सर, न केवल सदन के अंदर, बल्कि सदन के बाहर भी, दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बाहर भी सभी लोग इस दंश से पीड़ित हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वे प्राइमरी स्कूल्स हों, चाहे जो नए-नए विश्वविद्यालय बने हैं, वे हों, चाहे डिग्री कॉलेजेज़ हों, मेडिकल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हों, नर्सिंग कॉलेजेज़ हो, इन सभी की यह स्थिति हो चुकी है कि आज वे अपनी फीस में कब और कितनी वृद्धि कर देंगे, इसका कोई अनुमान नहीं रह गया है। स्वाभाविक रूप से, परिवारों में बच्चे पैदा होंगे, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहेंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा दिलाने की स्थिति में वे इस कारण नहीं आ पाते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल्स और नर्सरी स्कूल्स में ही कहा जाता है कि 10 से 15 हजार रुपए दीजिए। बिल्डिंग फंड, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अलग से पैसा लिया जाता है और इसका परिणाम यह है कि नर्सरी स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए लोग एक-एक लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश कैसे कराएं, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है? आज यही स्थिति स्कूलों की है, यही स्थिति कोचिंग्स की भी है। अगर कोई बच्चा यहाँ से पढ़कर निकलता है, तो वे उसका विज्ञापन पेपरों में देते हैं, लेकिन उस बच्चे का ही देते हैं, जो मेरिट में आ जाता है। उस विज्ञापन में दिखाते हैं कि यह मेरे स्कूल का बच्चा है, लेकिन अगर वही बच्चा पहले प्रवेश लेने के लिए जाता है, तो उसे कोई एक नए पैसे की भी छूट देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसकी परिणति यह हो गई है कि लोग असहाय हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे एजुकेट कराएं? आज इसी नाते मैंने यह विषय आप सभी लोगों के संज्ञान में लाने का प्रयत्न किया है। मान्यवर, ऐसे ही मेडिकल एजुकेशन, और मैनेजमेंट के विषय हैं। अगर हम लोग आज इस सदन में बैठकर विचार नहीं करेंगे, अगर सदन के बाहर जाकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो ये जो कुकुरमुत्तों की तरह पैदा होने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों को कहीं न कहीं आकर्षित करते हैं और लोग अपने बच्चों को उनमें डाल देते हैं और बाद में यह पता लगता है कि वे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं - ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए, सरकार भी ध्यान दे। इसमें एकरूपता आनी चाहिए, जिससे फीस का कोई न कोई ढांचा बन सके।